



फर्द अहकाम

सीमा के मामले में बनाम राजेश कुमार सिंह कोठरी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड

केस संख्या 50 / 2023 मु.जिल.म. 9.40

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/9/23	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के माध्यम से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 25/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	<p>10/23 9/16/23</p>
25/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य सुनकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते दिनांक 31/10/23 को पेश है।</p>	
31/10/24	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी आज अवकाश / दौरे / मिटिंग / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/10/24 को पेश हो।</p>	
1/11/24	<p style="text-align: center;"><b>रीडर</b></p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के पास उक्त के अधिसूचना केर्ड उपस्थित नहीं है। उक्त का प्रमाण कि जिला कलक्टर ने कम्प्लेक्स - मामला के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के रिजल्ट विहाय ही पत्रावली के मुकदमे के अर्थ पर पत्रावली का है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण के तहत उक्त पर सादर अनुपस्थित हो रहा है।</p> <p>उक्त के मुकदमे के अर्थ पर कम्प्लेक्स - मामला के पीठासीन अधिकारी (तत्कालीन) का स्थानान्तरण होने के कारण सादर अनुपस्थित होने के कारण पत्रावली का है। कम्प्लेक्स - मामला के रिजल्ट की जाति किजवाह आर पत्रावली के तहत उक्त प्रमाण दाखिल कर रहे हैं।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	